

**कार्यालय**  
**प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा**

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल [almoraforestdivision@rediffmail.com](mailto:almoraforestdivision@rediffmail.com)

पत्रांक 1935 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 19-10-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय - जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सुनियाकोट कोटुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.628 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD /53059/2020)।

संदर्भ - भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या- 8बी/यू०सी०पी०/०६/५२/२०२२/एफ०सी०/५३८ दिनांक 20.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा 2 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है, जिसका निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन कर दिया गया है, जो निम्नवत है :-

| क्र. सं. | आपत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | निराकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | In reply to point 2 of this office EDS, though the revised enumeration of 23 trees has been found submitted as an additional document in online Part I but the details are not found corrected at para 4 in online Part II. The State Government is requested to correct the enumeration in online Para-4, Part II. | आपत्ति का निराकरण प्रभाग स्तर से ऑनलाईन पार्ट II में कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2        | It is seen that village 'Suniyakot' and 'Kotuli' could individually be connected directly with the starting point. Hence it is not clarified as to why the road is proposed from village 'Kotuli to Suniyakot.' State Government is requested to submit the detailed comments in this regard.                       | प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि आपत्ति पत्र के बिन्दु संख्या 2 के क्रम में अवगत कराना है कि सुनियाकोट एवं कोटली के ग्रामवासियों को मोटर मार्ग से संयोजित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा यह स्वीकृति जारी की गयी है। जिसके अनुपालन में न्यूनतम वन भूमि एवं न्यूनतम वृक्षों के पातन को देखते हुए स्थानीय ग्रामवासियों की सुविधा एवं तकनीकी दृष्टिकोण के अनुरूप यह संरक्षण निर्धारित किया गया है जिसमें 2.628 है० वन भूमि में चीड़ प्रजाति के 19 वृक्ष एवं नाप भूमि में 4 वृक्ष इस प्रकार कुल 23 वृक्षों के पातन की आवश्यकता होगी। ग्राम सुनियाकोट एवं कोटली को पृथक पृथक मोटर मार्ग से संयोजित करने की प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगेगा। |

संलग्नक-उपरोक्तानुसार 4-4 प्रतियाँ में।

भवदीय,



(दीपक सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा  
Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand  
E-mail: eepdalmora@rediff.com



पत्रांक १३५३ / ७सी०

दिनांक २६ सितम्बर 2023

सेवा में,

✓ प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग,  
अल्मोड़ा।

**विषय:** जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सुनियाकोट कोटुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.628 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन(प्रस्ताव सं० 53059/2020)।

**संदर्भ:** भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं० 08 बी०/यू०सी०पी०/०६/५२/२०२२/एफ०सी०/५३८ दिनांक २०.०७.२०२३

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है:-

| क्रम सं० | आपत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | निराकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 1) In reply to point 2 of this office EDS, though the revised enumeration of 23 trees has been found submitted as an additional document in online Part I but the details are not found corrected at para 4 in online Part II. The State Government is requested to correct the enumeration in online Para-4, Part II. | यह बिन्दु लो०नि०वि० से संबंधित नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2        | It is seen that village 'Suniyakot' and 'Kotuli' could individually be connected directly with the starting point. Hence it is not clarified as to why the road is proposed from village 'Kotuli' to 'Suniyakot. State Government is requested to submit the detailed comments in this regard.                         | आपत्ति पत्र के बिन्दु सं० 2 के क्रम में अवगत कराना है कि सुनियाकोट एवं कोटली के ग्रामवासियों को मोटर मार्ग से संयोजित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा यह स्वीकृति जारी की गयी है। जिसके अनुपालन में न्यूनतम वन भूमि एवं न्यूनतम वृक्षों के पातन को देखते हुये स्थानीय ग्रामवासियों की सुविधा एवं तकनीकी दृष्टिकोण के अनुरूप यह संरक्षण निर्धारित किया गया है जिसमें 2.628 है० वन भूमि में चीड़ प्रजाति के 19 वृक्ष एवं नाप भूमि में 4 वृक्ष इस प्रकार कुल 23 वृक्षों के पातन की आवश्यकता होगी।<br>ग्राम सुनियाकोट एवं कोटली को पृथक पृथक मोटर मार्ग से संयोजित करने की प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगेगा जिससे ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों में आक्रोश उत्पन्न होगा। |

अतः अनुरोध है कि मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित संरक्षण को स्वीकृत करने हेतु अपने स्तर प्रबल संस्तुति सहित प्रकरण को अग्रसारित करने की कृपा करें।

दिनांक सं० २६/९/२३

संवाचन सं० १२०२

मूनी हस्ता २९ - ९ - २०२३

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।

पत्रांक

/ ७सी०

तददिनांकित

प्रतिलिपि— सहायक अभियन्ता(पंचम), प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।

